कार्यालय महानिदेषक, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3 / 2014 / 824 लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2014

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2014 की द्वितीय काउंसिलिंग की समय सारणी

यू0पी0पी0जी0एम0ई0–2014 की द्वितीय काउंसिलिंग निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार किंग जार्ज चिकित्सा विष्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न की जायेगी–

M.D.S.

Day and Date	Time	Candidates as per Overall Rank
06.05.2014 (Tuesday)	11:00 A.M.	Rank- 01 to 105 (UR,OBC,SC)

M.D./M.S./Diploma

Day and Date	Time	Candidates as per Overall Rank
06.05.2014 (Tuesday)	12:00 A.M. Onwards	PH- All eligible Rank - 01 to All eligible (UR,OBC, SC)

UR-सामान्य (अनारक्षित), **OBC**-अन्य पिछड़ा वर्ग, **SC**- अनुसूचित जाति, **PH**-विकलांग।

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देष

1– ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनको प्रथम काउंसिलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है एवं सम्बन्धित कालेज / पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेष प्राप्त कर लिया है तथा उपलब्ध रिक्त सीटों पर अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी **निर्धारित प्रारूप पर एन0ओ0सी0 सम्बन्धित प्रधानाचार्य से प्राप्त कर मूल रूप में** काउंसिलिंग के समय अपने साथ लायेंगे। जो अभ्यर्थी पुनरावंटन प्राप्त करेंगे उनको पूर्व की सीट से तत्काल ही त्यागपत्र देना होगा।

2– ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी थी या अनुपस्थित थे, काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं।

3– प्रथम काउंसिलिंग की भॉति काउंसिलिंग शुल्क रूपये 800 / –(रूपये आठ सौ मात्र) तथा धरोहर धनराशि रूपया 30,000 / –(रूपये तीस हजार मात्र) एच0डी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड लखनऊ की चौक / गोमती नगर / अशोक मार्ग स्थित किसी भी शाखा में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से खाता संख्या–11122320000190 में जमा करना होगा। अन्य निर्देश पूर्व काउंसिलिंग की भॉति यथावत् रहेंगे।

4– काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नही की जायेगी। प्रकाषित सूचना, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण की **वेबसाईट www.updgme.in** एवं के0जी0एम0यू0,लखनऊ की वेबसाइट **www.kgmu.org; www.kgmu.edu.in** पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा।

5– श्रेणी विषेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त हो जायेगी।

6– प्रवेष समिति (काउंसिलिंग बोर्ड) का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम व मान्य होगा।

7– पूर्व की पी0जी0एम0ई0ई0 के माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी रेजीडेन्सी योजना के प्राविधानों के अनुरूप ही अर्ह होंगे।

8– काउंसिलिंग के समय विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 13 एवं 14 पर वर्णित, सभी मूल प्रमाण पत्र सहित तथा उनकी एक–एक सत्यापित प्रतिलिपि एवं यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2014 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियॉ तथा यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2014 का प्रवेष पत्र मूलरूप में साथ लाना आवष्यक है।

महानिदेशक